

अध्याय—I

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के वित्तों का व्यापक परिप्रेक्ष प्रदान करता है तथा गत पाँच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयन में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं: (i) संचित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं - संचित निधि तथा आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं हैं। ऋण से संबंधित लेन-देनों (उन के अलावा जो लघु बचत स्कीमों से संबंधित हैं), जमाओं, अग्रिमों, प्रेषणों तथा उचंत को संघ सरकार के लोक लेखे में विलय किया जाता है। राज्य की राजकोषीय देयताओं में लघु बचत संग्रह शामिल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेष को शामिल किया जाता है तथा संघ सरकार के सामान्य रोकड़ शेष का भाग बनाया जाता है और इसे सरकार के पास जमा के रूप में पड़ा हुआ माना जाता है। दिल्ली, संघीय क्षेत्र होने के कारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं। वर्तमान में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को प्रदत्त वित्तीय वितरण दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली को संघीय कर व शुल्कों के राज्य के अंश के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त है।

राज्य की रूपरेखा

दिल्ली, एक शहरी राज्य, देश की राजधानी, 1483 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई, 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी* की औसत जनसंख्या घनत्व सहित घनी आबादी वाला राज्य है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2012-13 में ₹ 365726.26 करोड़ था। इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पिछले दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत स.रा.घ.उ. (14.94 प्रतिशत) की तुलना में उच्च दर पर (18.49 प्रतिशत) बढ़ा है। (परिशिष्ट 1.1)

1.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे 16 विवरणियों में निर्धारित हैं जिनमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि व आकस्मिकता निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व व पूँजी प्रस्तुत की गई हैं (परिशिष्ट 1.2)।

1.2 चालू वर्ष के राजकोषीय लेने-देनों का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार प्रस्तुत करता है जबकि परिशिष्ट 1.3 प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

* (स्रोत: भारत की जनगणना 2011)

तालिका 1.1

चालू वर्ष की राजकोषीय प्रक्रियाओं का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2011–12	2012–13		2011–12	2012–13		
खण्ड—आ राजस्व	कुल	कुल	खण्ड—आ राजस्व	कुल	गैर—योजनागत	योजनागत	कुल
राजरव प्राप्तियाँ	22393.17	25560.97	राजरव व्यय	17964.85	14160.64	6498.72	20659.36
कर राजस्व	19971.67	23431.52	सामान्य सेवाएँ	4347.23	5595.31	143.26	5738.57
गैर—कर राजस्व संघ कर/शुल्कों का भाग	460.87	626.93	सामाजिक सेवाएँ	10717.11	5728.63	6008.80	11737.44
			आर्थिक सेवाएँ	2172.22	2004.17	346.66	2350.82
भारत सरकार से अनुदान	1960.63	1502.52	सहायता अनुदान तथा अंशदान	728.29	832.53	-	832.53
खण्ड—ब पूँजीगत			खण्ड—ब पूँजीगत				
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			पूँजीगत परिव्यय	4004.27	4.89	4171.74	4176.63
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	376.25	724.90	सार्वजनिक ऋण व अग्रिम	3345.42	2734.03	1000.80	3734.83
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ*	556.08	922.41	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	1087.88	1287.99	-	1287.99
प्रारंभिक नकद शेष\$	7713.20	4636.28	अंतिम नकद अधिशेष\$	4636.28	-	-	1985.75
कुल	31038.70	31844.56		31038.70			31844.56

*भारत सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं जो प्रमुखतः छोटी बचतों में अंश के रूप में हैं।

\$नकद शेष को भारत सरकार के साधारण नकद शेष में जोड़ा जाता है।


(ज्ञात: वर्ष 2012–13 की दिल्ली के वित्त लेखों तथा प्र. महालेखाकार, दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार)

पिछले वर्ष की तुलना में 2012.13 के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में 3167.80 करोड़ (14.15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। कर राजस्व में ₹ 3459.85 करोड़ व गैर-कर राजस्व में ₹ 166.06 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि भारत सरकार से अनुदान में ₹ 458.12 करोड़ की कमी हुई।
- राजस्व व्यय में ₹ 2694.51 करोड़ (15.00 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में ₹ 172.36 करोड़ (4.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ ₹ 348.65 करोड़ (92.67 प्रतिशत), जबकि ऋणों का संवितरण ₹ 389.41 करोड़ (11.64 प्रतिशत) बढ़ा।
- सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ ₹ 366.33 करोड़ (65.88 प्रतिशत) से बढ़ी जबकि पुनर्भुगतान ₹ 200.11 करोड़ (18.39 प्रतिशत) से बढ़ा।
- 2012-13 की समाप्ति पर नकद शेष पिछले वर्ष से ₹ 2650.53 करोड़ (57.17 प्रतिशत) से घटा।

1.3 बजट अनुमान व वास्तविकता

राजस्व प्राप्तियों व व्यय के अन्तर्गत बजटीय व वास्तविक ऑँकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए गए हैं।





जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, बजट अनुमान व वास्तविकता में कई प्रमुख मापदण्डों में उल्लेखनीय भिन्नता है। वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय दोनों लक्ष्यों से कम थे। राजकोषीय घाटा जो ₹ 3684.03 करोड़ अनुमानित था ₹ 1399.08 करोड़ से कम होकर ₹ 2284.95 करोड़ था। प्राथमिक घाटा, ₹ 384.03 करोड़ अनुमानित था जो ₹ 577.93 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया।

1.4 राज्य के संसाधन

1.4.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन



राजस्व व पूँजी प्राप्तियों के दो वर्ग हैं जिनसे राज्य सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान आते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियाँ, ऋण प्राप्तियाँ तथा भारत सरकार (भा.स.) से ऋण व अग्रिम व सार्वजनिक लेखों की जमाएँ आती हैं। तालिका 1.1 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य संवितरण की प्राप्तियाँ तथा जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखों में दर्ज है, प्रस्तुत करती है, जबकि चार्ट 1.2 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ दर्शाता है। चार्ट 1.3 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना को दर्शाता है।



राजस्व प्राप्तियाँ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों का 2008-09 के 93 प्रतिशत के प्रति 2012-13 में 94 प्रतिशत थीं।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के कर व गैर-कर राजस्व व भा.स. से सहायता अनुदान शामिल हैं। 2008-09 से 2012-13 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ व संरचना परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत किया गया है व क्रमशः चार्ट 1.4 व चार्ट 1.5 में भी दर्शाई गई है।



2008-09 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का अंश कुल राजस्व प्राप्तियों का 74.49 प्रतिशत था तथा 2009-10 में गिरकर 65.76 प्रतिशत हो गया। यह 2011-12 में 89.19 प्रतिशत तक चला गया तथा 2012-13 में 91.67 प्रतिशत पहुँच गया। 2008-13 की अवधि में गैर-कर राजस्व में उतार-चढ़ाव था। 2008-09 में दिल्ली की गैर-कर प्राप्ति ₹ 2300.73 करोड़ थी। यह 2010-11 में ₹ 4188.95 करोड़ हो गया परन्तु ब्याज प्राप्तियों में कमी के कारण 2011-12 में तेजी से गिर कर ₹ 460.87 करोड़ हो गया। कुल प्राप्तियों के अंश के रूप में गैर-कर राजस्व 2008-09 में 14.07 प्रतिशत से गिरकर 2012-13 में 2.45 प्रतिशत हो गया। जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.2 में प्रस्तुत की गई हैं:

तालिका 1.2

जी.एस.डी.पी.से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	16352.21	20451.34	25024.10	22393.17	25560.97
आर.आर. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	9.66	25.07	22.36	(-) 10.51	14.15
आर.आर./ जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	8.63	9.32	9.57	7.21	6.99
बौयांसि अनुपात					
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजस्व बौयांसि	0.48	1.59	1.17	(-) 0.56	0.80
जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर बौयांसि	0.17	0.66	1.17	1.13	0.98

(ज्ञात: संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली सरकार के फैसले)

राजस्व प्राप्तियों में 2008-13 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई, वर्ष 2011-12 को छोड़कर जिस दौरान राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 2630.93 करोड़ कम हो गई। राजस्व प्राप्तियाँ 2011-12 की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 14.15 प्रतिशत बढ़ गई जबकि इसी अवधि के दौरान जीएसडीपी में वृद्धि 17.70 प्रतिशत रही (परिशिष्ट 1.4)। चालू वर्ष में जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की कर बायांसी पिछले वित्तीय वर्ष से 1.13 प्रतिशत से कम हो कर 0.98 प्रतिशत हो गई।


2008-09 में जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य की कर राजस्व बायांसी बहुत कम थी (जीएसडीपी में एक प्रतिशत वृद्धि पर राज्य के कर राजस्व में मात्र 0.17 प्रतिशत वृद्धि)। यद्यपि, यह स्थिति 2010-11 में उल्लेखनीय रूप से बदल गई जब राज्य की कर बायांसी बढ़कर 1.17 प्रतिशत हो गई परंतु प्रवृत्ति जारी न रह पाई। 2011-12 में यह कम होकर 1.13 प्रतिशत और 2012-13 में 0.98 प्रतिशत हो गई।

1.5.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2011-12 को छोड़कर 2008-13 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2010-11 के राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2011-12 में 10.51 प्रतिशत तक कम हो गया। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2008-09 में 74.49 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 91.67 प्रतिशत हो गया। कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर प्राप्तियों का अंश 2008-09 में 14.07 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 2.45 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदानों का अंश 2008-09 में 11.44 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 5.88 प्रतिशत हो गया।

कर राजस्व

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर राजस्व के घटक चार्ट 1.6 में दिए गए हैं:



स्रोत: 2011-12 एवं 2012-13 के वित लेखे

कर राजस्व चालू वर्ष के दौरान (₹ 23431.52 करोड़) गत वर्ष (₹ 19971.67 करोड़) की तुलना में ₹ 3459.86 करोड़ (17.32 प्रतिशत) तक बढ़ा। राजस्व में प्रमुख योगदान विक्री, व्यापार, कर, इत्यादि पर करों से था जिसका कुल कर राजस्व में 67.45 प्रतिशत योगदान था तथा पूर्व वर्ष से यह 14.93 प्रतिशत बढ़ा।

राज्य उत्पाद शुल्क व रेटोम्प ड्यूटी के अन्तर्गत संग्रह पूर्व वर्ष से 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 336.02 करोड़ (13.26 प्रतिशत) एवं ₹ 857.81 करोड़ (38.29 प्रतिशत) बढ़ा। उसी प्रकार वाहनों पर कर व अन्य करों का अंशदान क्रमशः ₹ 190.99 करोड़ (18.20 प्रतिशत) व ₹ 22.32 करोड़ (5.61 प्रतिशत) बढ़ा।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व जो 2012-13 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.45 प्रतिशत था, वर्ष 2008-09 से ₹ 1673.80 करोड़ (72.75 प्रतिशत) कम हो गया। वर्ष 2010-11 के दौरान गैर-कर राजस्व फिर भी उच्चतर ₹ 4188.95 करोड़ था।

ब्याज प्राप्तियाँ जो 2011-12 में ₹ 174.14 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 340.03 करोड़ हो गई, का कुल गैर-कर प्राप्तियों में 2011-12 में 37.79 प्रतिशत और 2012-13 में 54.24 प्रतिशत योगदान था। 2012-13 में ₹ 340.03 की कुल ब्याज प्राप्ति में से ₹ 252.89 करोड़ स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त किया गया था।

1.5.2 संग्रहण की लागत

2010-11 से 2012-13 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्ति, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्नवत् है:

तालिका 1.3
संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	राजस्व संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	2010-11	12068.62	50.69	0.42
	2011-12	13750.95	53.67	0.39
	2012-13	15803.68	75.70	0.48
राज्य उत्पाद शुल्क	2010-11	2027.09	9.44	0.47
	2011-12	2533.72	10.79	0.43
	2012-13	2869.74	23.67	0.82
वाहनों पर कर	2010-11	707.55	37.03	5.23
	2011-12	1049.19	31.79	3.03
	2012-13	1240.18	28.81	2.33

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान वाहनों पर कर के सम्बन्ध में संग्रहण लागत पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हो गई।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग


1.6.1 व्यय की वृद्धि व संरचना

राज्य अपने कार्यों के निष्पादन को पूरा करने सामाजिक व आर्थिक सेवाओं की पूर्ति करने की अपनी वर्तमान प्रकृति बनाए रखने, पूंजीगत व्यय व निवेश द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने तथा अपनी ऋण सेवाओं की बाध्यता के निर्वहन हेतु संसाधन उत्पन्न करते हैं। राज्य का कुल व्यय 2008-09 में ₹ 19975.28 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 28570.82 करोड़ हो गया।


चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹ 28570.82 करोड़ गत वर्ष से ₹ 3256.27 करोड़ (12.86 प्रतिशत) बढ़ा है। कुल वृद्धि में से राजस्व व्यय ₹ 2694.50 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय ₹ 172.36 करोड़ था, जबकि ऋण व अग्रिमों में ₹ 389.41 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में सीमान्त वृद्धि राज्य द्वारा निधि के आवंटन की कम उत्पादकता का संकेतक है। गत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय 2008-09 में ₹ 11762.56 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 20659.36 करोड़ हो गया जो 75.64 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसी प्रकार पूँजीगत व्यय जो 2008-09 में ₹ 3995.40 करोड़ था, 2012-13 में बढ़कर ₹ 4176.64 करोड़ हो गया और इस अवधि के दौरान 4.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

पूँजीगत व्यय व राजस्व व्यय 2008-09 में कुल व्यय (ऋण व अग्रिम शामिल नहीं) का क्रमशः 25.35 प्रतिशत तथा 74.65 प्रतिशत थे जबकि 2012-13 में ये क्रमशः 16.86 प्रतिशत व 83.18 प्रतिशत थे। योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय 2011-12 में ₹ 10440.82 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 229.64 करोड़ की वृद्धि दर्ज कर ₹ 10670.46 करोड़ हो गया जबकि गैर-योजनागत व्यय 2011-12 में ₹ 11528.31 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2637.23 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 14165.54 करोड़ हो गई। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल व्यय का योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय का अंश क्रमशः 42.96 प्रतिशत तथा 57.04 प्रतिशत था।

चार्ट 1.7 2008-13 की अवधि के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करता है:



'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों से व्यय' दोनों के संबंध में संरचना को क्रमशः चार्ट 1.8 एवं 1.9 में दिखाया गया है।



उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि 2008-13 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 18.86 प्रतिशत से बढ़कर 20.77 प्रतिशत हो गया है, जबकि सामाजिक सेवाओं का अंश 36.45 प्रतिशत से बढ़कर 44.94 प्रतिशत हो गया।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत् मूल रूप से तीन पहलू जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सावर्जनिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग तथा उपयुक्तता (कुछ चुनिंदा सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) सम्पन्नित हैं।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक अवसंरचना संबंधी व्यय उत्तरदायित्व प्रमुखतः राज्य सरकारों को संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सौंपे जाते हैं। अतः इन राज्यों में सामाजिक विकास स्तरों को बढ़ाने हेतु प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय को बढ़ाया जाना आवश्यक है। किसी क्षेत्र की राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) निम्न मानी जाएगी यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम हो। **तालिका 1.4** 2012-13 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय व पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

तालिका—1.4

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता**	कु.व्यय/ जी.एस. डी.पी	वि.व्यय/ कु.व्यय.	सा.से.व्य/ कु.व्य.	पू.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वारक्षण्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2009-10	17.06	66.05	35.73	14.96	16.19	4.24
दिल्ली राज्य की औसत (अनुपात) 2009-10	11.08	73.06	42.54	19.40	16.80	8.22
सामान्य श्रेणी की राज्यों की औसत (अनुपात) 2012-13	15.93	65.79	32.77	13.23	17.23	4.47
दिल्ली राज्य की औसत (अनुपात) 2012-13	7.81	72.81	50.23	14.53	19.22	9.57

स्रोत : जीएसडीपी हेतु सूचना राज्य के अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय निदेशालय से संगृहीत है।

राजकोषीय प्राथमिकता किसी विशेष व्यय शीर्ष को दिया जाने वाला महत्त्व है। उपरोक्त तालिका 2009-10 तथा चालू वर्ष 2012-13 में राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों को दी गयी राजकोषीय प्राथमिकता की सामान्य श्रेणी के राज्यों से तूलना प्रस्तुत करता है।

- जी.एस.डी.पी. के अनुपात में दिल्ली का कुल व्यय सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में 2009-10 एवं 2012-13 दोनों वर्ष में निम्न था।
 - सरकार ने डी.ई. को 2009-10 एवं 2012-13 में वित्तीय प्राथमिकता दी क्योंकि इसका ए.ई. से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।

- सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में सी.ई. से ए.ई. का अनुपात 2009-10 एवं 2012-13 दोनों वर्ष में अधिक था।
- 2012-13 में ए.ई. को शिक्षा पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों से आंशिक रूप से अधिक था।
- 2009-10 एवं 2012-13 दोनों वर्षों में दिल्ली में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता सामान्य श्रेणी राज्यों से बहुत ज्यादा थी।

1.7.2 प्रयुक्त व्यय की दक्षता

सामाजिक व आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों हेतु व्यय के वैज्ञानिकीकरण हेतु समुचित उपाय करना तथा विशेषतः हाल के वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण राजकोष में उत्पन्न स्थान को ध्यान में रखकर विकास व्यय हेतु आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त मौलिक, सार्वजनिक तथा योग्यतात्मक वस्तुओं* के प्रावधान पर बल दिया जाना चाहिए। **तालिका 1.5** चालू वर्ष तथा गत वर्षों के दौरान विकास व्यय में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.5

विकास व्यय


(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (नीचे क से गतक)	15749.92	17768.13	17631.45	20004.27	23935.34	20802.04
क. विकास राजस्व व्यय	7872.07	9753.86	10111.26	12889.33	15228.32	14088.25
ख. विकास पूँजीगत व्यय	3661.92	4361.14	3720.25	3815.45	4624.65	3979.76
ग. विकास ऋण व अग्रिम	4215.93	3653.13	3799.94	3299.49	4082.37	2734.03

स्रोत: संबंधित वर्षों के दित लेखे

* मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी आती, यथा कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।

योग्यतामूलक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने का क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोपाहार हेतु निर्धनों को निःशुल्क व रियायती गोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रुग्णता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि।



2012-13 के दौरान राजस्व व पूँजी के अन्तर्गत वास्तविक विकास व्यय अनुमानों से क्रमशः ₹ 1140.07 करोड़ तथा ₹ 644.89 करोड़ कम था। यह दर्शाता है कि बजट अनुमान तैयार करते समय विभिन्न योजनागत स्कीमों का क्रियान्वयन करने में क्रियान्वयन एजेंसियों की तैयारी का आकलन नहीं किया गया।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान वास्तविक विकास राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय क्रमशः 78.96 प्रतिशत व 8.68 प्रतिशत बढ़े। विकास राजस्व व्यय में वृद्धि नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास के प्रति निरन्तर सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है। विकास पूँजीगत व्यय गत वर्ष से 2012-13 में ₹ 164.31 करोड़ बढ़ा जबकि विकास ऋण व अग्रिम ₹ 565.46 करोड़ घटा।

1.8 सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड गत वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2013 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 16388.15 करोड़ का निवेश किया था (**तालिका 1.6**)। इस निवेश पर प्रतिफल 2012-2013 में बहुत कम 0.16 प्रतिशत था। 2008-13 के दौरान प्रतिफल 0.16 तथा 0.38 प्रतिशत के बीच था। सरकार ने 2010-13 के दौरान अपने उधारों पर औसतन 9.73 प्रतिशत ब्याज दर चुकाया। **तालिका 1.6** में विस्तार से दिया गया है:

तालिका 1.6
निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वर्ष के अन्त में निवेश	9682.02	11017.56	12616.58	14655.90	16388.15
प्रतिफल	29.92	41.56	46.59	33.00	26.25
प्रतिफल प्रतिशत	0.31	0.38	0.37	0.23	0.16
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.90	9.52	9.10	9.77	9.73
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.59	9.14	8.73	9.54	9.57

पिछले राजकोषीय वर्ष की अपेक्षा 2012-13 में निवेश में वृद्धि मुख्य रूप से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 749.70 करोड़, दिल्ली परिवहन निगम में ₹ 199.50 करोड़, दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड में ₹ 245 करोड़, प्रगति पावर कार्पोरेशन लि. में ₹ 250.00 करोड़ तथा इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लि. में ₹ 49.00 करोड़ के नये निवेश के कारण थी।

वर्ष 2012-13 के दौरान पाँच कम्पनियों और कॉर्पोरेशनों जैसे दिल्ली कोओपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लि., इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लि., दिल्ली टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्द्रप्रस्थ गैस लि. और दिल्ली ट्रांस्को लि. में मार्च 2013 के अंत तक सरकारी निवेश ₹ 3758.37 करोड़ के साथ लाभांश ₹ 22.75 करोड़ दिया था जो कि इन कम्पनियों में निवेश का मात्र 0.61 प्रतिशत था।

1.8.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

सहकारी सोसाईटी, निगमों व कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार भी संस्थानों/संगठनों को ऋण व अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2013 को कुल बकाया ऋण व अग्रिम ₹ 50887.82 करोड़ था (**तालिका 1.7**)।

तालिका 1.7

राज्य सरकार द्वारा ऋणों व अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उद्धारों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रारंभिक शेष	33836.63	39219.78	45147.73	48116.90 (-) 239.00*
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	5701.30	6364.73	3345.41	3734.83
वर्ष के दौरान पुनः भुगतान की राशि	318.15	436.77	376.25	724.90
अन्त शेष	39219.78	45147.73	48116.90	50887.82
निवल योग	5383.15	5927.95	2969.17	3009.92
ब्याज प्राप्तियाँ	3236.62	3869.84	174.14	340.03
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	8.25	8.57	0.36	0.67

* ऋण को इविवटी में बदलने के कारण समय पूर्व समायोजन को दर्शाता है।

राज्य स्तरीय संगठनों/संस्थानों के प्रति बकाया ऋण दिल्ली के रा.रा.क्षे. के कुल बकाया ऋणों का बहुत बड़ा भाग है। रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा बहुत से राज्य उद्यमों तथा संस्थाओं, जिनको ऋण एवं अग्रिम दिए गए थे, और 2012-13 के अंत में बकाया रह गए थे, वे जल आपूर्ति और सफाई प्रबंध (₹ 13732.47 करोड़), शहरी विकास योजना (₹ 1737.87 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 13278.14 करोड़), पावर परियोजनाओं के लिए ऊर्जा क्षेत्र (₹ 6566.45 करोड़) और विविध ऋण (₹ 14762.24 करोड़) के क्षेत्रों में थे।

1.9 परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ

1.9.1 परिसम्पत्तियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सुजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। **परिशिष्ट 1.5** 31 मार्च 2013 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2012 को सम्बन्धित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट में दी गई देयताओं में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिए केवल ऋण व अग्रिम ही सम्मिलित हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजीगत परिव्यय व ऋण व अग्रिम आते हैं।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2008-09 में ₹ 25381.66 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 29242.71 करोड़ (15.21 प्रतिशत) हो गई। 2012-13 के दौरान ₹ 29242.71 करोड़ की वित्तीय देयताओं में ₹ 29242.70 करोड़ की लघु बचतों का संग्रहण तथा अन्य सहकारिताओं को ₹ 0.01 करोड़ का सहकारी सहयोग शामिल था। 2011-12 के दौरान ₹ 29608.29 करोड़ की कुल देयताओं में से लघु बचत संग्रहण व अन्य सहकारिताओं को सहायता क्रमशः ₹ 29608.28 करोड़ व ₹ 0.01 करोड़ थी। 2012-13 की समाप्ति पर वित्तीय देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.14 गुणा तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों का 1.22 गुणा थी।

1.10 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरक्त राज्य की ऋण धारणीयता^५ का निर्धारण करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण की धारणीयता का निर्धारण ऋण स्थिरीकरण^६ गैर-ऋण प्राप्तियों^७ की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों^८ की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान के भार (ब्याज भुगतानों से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में मापा जाता है) तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता के आधार पर करता है। तालिका 1.8 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि हेतु इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता को दिखाता है।

^५ऋण धारणीयता, राज्य द्वारा एक समयावधि के दौरान एक निश्चित ऋण-जीएसडीपी अनुपात बनाए रखने की क्षमता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा इसमें इसके ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता के बारे में चिंता भी परिलक्षित होती है। अतः ऋण धारणीयता से तात्पर्य वर्तमान अतवा लक्षित दायित्वों की पूर्ति हेतु द्रव्य परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा अतिरिक्त ऋणों की लागत, तथा इन ऋणों से प्राप्त रिटर्नों के बीच संतुलन रखने की क्षमता भी होती है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय धाटे में वृद्धि ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता से मेल होना चाहिए।

^६स्थिरता की एक आवश्यक दशा यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के विकास की दर सार्वजनिक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक हो तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात के संभावना है वशर्त प्राथमिक अधिशेष शून्य या धनात्मक या साधारणतः ऋणात्मम हो। यदि दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा क्वांटम विस्तार (ऋण दर विस्तार) दोनों पर, ऋण धारणीयता का नियम बताता है कि यदि मात्रा विस्तार व प्राथमिक धाटा शून्य हो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अन्तः स्थिर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि प्राथमिक धाटा व क्वांटम विस्तार ऋणात्मक हो जाएँ, ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़ेगा और यदि ये धनात्मक हों तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात अन्ततः नीचे गिरेगा।

^७अभिवृद्धयात्मक ब्याज देयताओं व अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता ऋण धारणीयता की प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी यदि अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों से अभिवृद्धयात्मक ब्याज भार तथा अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

^८इसे ऋण शोधन (मूलधन+ब्याज भुगतान) से कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं तथा यह दर्शाता है ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक ऋण शोधन में प्रयुक्त हुए जिससे ऋण ली गई निधि की निवल उपलब्धता का पता चलता है।

तालिका 1.8
ऋण धारणीयता: संकेतक व प्रवृत्तियाँ
(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरकरण (व्हाटम विस्तार + प्राथमिक धारा)	(+)2247.03	(+)506.79	(+)5984.78	(+)3105.77	(+)2937.71
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन रिक्तता)	15.53	1479.97	4210.52	(-) 6274.57	821.95
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	(-) 2469.16	1162.53	3595.88	(-) 531.80	(-) 365.58
ब्याज देयताओं का भार (आईपी/आरआर अनुपात)	15.36	12.09	10.31	13.03	11.20
ऋण / जीएसडीपी अनुपात	13.39	12.10	11.53	9.53	8.00

(नोट: संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली तथा पी.ए.ओ. दिल्ली के वित लेखें)


- प्राथमिक धारे के साथ मात्रा विस्तार 2008-09 से 2012-13 तक सकारात्मक रहा, जो ऋण के स्थिर होने का सूचक है। उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता की प्रवृत्ति भी अनुकूल स्थिति में थी।
- पिछले वर्ष की अपेक्षा 2012-13 में दोनों राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय क्रमशः ₹ 3167.80 करोड़ व ₹ 2694.50 करोड़ बढ़े। इससे संसाधन रिक्तता प्रभावित हुई जो धनात्मक क्षेत्र में पहुँच गया और 2011-12 में (-) ₹ 6274.57 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 821.95 करोड़ हो गया।
- ब्याज भुगतान के भार में मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2008-09 में 15.36 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में 10.31 प्रतिशत हो गया, राजस्व प्राप्ति में धनात्मक वृद्धि के कारण 2011-12 के दौरान 13.03 प्रतिशत की वृद्धि तथा 2012-13 के दौरान 11.20 प्रतिशत की कमी हो गई।
- ऋण व जीएसडीपी अनुपात से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि ऋण स्थिति अधिक नहीं बदली है, जीएसडीपी अनुपात लगातार बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2008-09 में 13.39 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 8.00 प्रतिशत हो गया।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, वित्तीय व प्राथमिक घाटे-एक निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अन्तर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबन्धन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त जिन तरीकों से घाटों का वित्तीयकरण किया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किए जाते हैं, इसके वित्तीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग तथा राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

1.11.1 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 व चार्ट 1.12 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटा संकेतकों तथा जी एस डी पी से संबंधित अधिशेष/घाटा की प्रवृत्ति को बतलाता है।





राजस्व अधिशेष राज्य व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्ति के अधिक्य को इंगित करता है। राज्य में 2008-13 के दौरान लगातार राजस्व अधिक्य हुआ। 2008-09 में यह ₹ 4589.65 करोड़ था जो 2010-11 में बढ़कर ₹ 10642.36 करोड़ हो गया 2012-13 में यह ₹ 4901.61 करोड़ था।

2008-13 के दौरान राजकोषीय घाटा राज्य के कुल उधार तथा संसाधन रिक्तता के मिश्रित आंकड़े प्रदर्शित करता है। 2008-09 में ₹ 2824.07 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के आधिक्य में बदल गया तथा 2012-13 के दौरान ₹ 2284.95 करोड़ का घाटा था।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा के ऊपर प्राथमिक व्यय (ब्याज भुगतान के बाद कुल निवल व्यय) को दर्शाता है। 2008-09 तथा 2009-10 में राज्य में प्राथमिक घाटा था जो 2010-11 के दौरान ₹ 3309.12 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। प्राथमिक अधिशेष वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान घटकर क्रमशः ₹ 372.06 करोड़ तथा ₹ 577.93 करोड़ हो गया।

2012-13 में राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से 14.15 प्रतिशत तक बढ़ गई किन्तु राजस्व व्यय 15.00 प्रतिशत तक बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष अर्थात् 2011-12 की तुलना में राजस्व अधिशेष में ₹ 473.30 करोड़ की सूक्ष्म वृद्धि हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक व इसके वित्तीयन प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीयन प्रतिरूप को तालिका 1.9 में दिखाया गया है:

तालिका 1.9
राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	राजकोषीय घाटा / बचत* (-/+)	(-) 2824.07	(-) 3549.96	(+) 729.60	(-) 2545.20	(-) 2284.95
1.	राजस्व घाटा / अधिशेष (-/+)	4589.65	6550.46	10642.36	4428.31	4901.61
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 3995.40	(-) 4717.27	(-) 3984.80	(-) 4004.27	(-) 4176.63
3.	निवल ऋण तथा अग्रिम	(-) 3418.32	(-) 5383.15	(-) 5927.96	(-) 2969.17	(-) 3009.93
राजकोषीय घाटे का वित्तीयन प्रतिरूप**						
1.	भा.स. से ऋण	42.71	1162.54	3595.88	(-) 531.80	(-) 365.58

* घाटे के आंकड़े – में तथा अधिशेष + में दिखाए गए हैं

** ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रगाह के हैं

(ज्ञोतः संबंधित वर्षों के वित लेखे तथा प्र.ले.प., दिल्ली)

1.11.3 घाटा / अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का वित्तीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे को प्राथमिक राजस्व घाटे व पूँजीगत व्यय (ऋण व अग्रिमों सहित) में विखण्डित करने पर राज्य के वित्तों में घाटे की प्रकृति का संकेत मिलता है। वित्तीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि ऋण ली गई निधि किस सीमा तक वर्तमान उपयोग हेतु प्रयोग की गई। इसके अतिरिक्त वित्तीय घाटे में राजस्व घाटे का निरंतर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार घट रहा था तथा ऋणों के एक भाग (वित्तीय देयताएँ) हेतु कोई परिसम्पत्तीय पूर्ति नहीं थी। चूंकि 2008-13 की पूरी अवधि में दिल्ली का राजस्व अधिशेष रहा, इसलिए ऋण ली गई निधि को केवल पूँजीगत व्यय व ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया जैसा कि तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10
प्राथमिक घाटा / अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-) / अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा(-) / अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2008-09	17151.21	9250.69	3995.40	4217.32	17463.41	(+) 7900.52	(-) 312.20
2009-10	20769.49	11427.95	4717.27	5701.30	21846.52	(+) 9341.54	(-) 1077.03
2010-11	25460.87	11802.22	3984.80	6364.73	22151.75	(+) 13658.65	(+) 3309.12
2011-12	22769.35	15047.60	4004.27	3345.41	22397.28	(+) 7721.75	(+) 372.06
2012-13	26285.87	17796.48	4176.63	3734.83	25707.94	(+) 8489.39	(+) 577.93

(ज्ञोतः संबंधित वर्षों के वित लेखे तथा प्र.ले.का., दिल्ली)

राज्य को वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान वित्तीय घाटा हुआ। गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय की पूर्ति नहीं कर पाई, जिससे प्राथमिक घाटा हुआ। हालांकि 2010-11 से 2012-13 में राज्य के पास प्राथमिक अधिशेष था परन्तु यह 2010-11 में ₹ 3309.12 करोड़ से घटकर 2012-13 में ₹ 577.93 करोड़ हो गया। प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय गत वर्ष में 17.88 प्रतिशत के प्रति कम होकर 2012-13 में 16.25 प्रतिशत हो गया। पूँजीगत व्यय पर पूँजीगत लागत वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु समय पर भौतिक परिसम्पत्तियों में परिणत होना चाहिए।

1.12 निष्कर्ष

प्रमुख वित्तीय मापदण्डों, जैसे राजस्व अधिशेष, वित्तीय घाटा और प्राथमिक घाटा के संदर्भ में रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति को देखने पर यह दिखाई देता है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 473.30 करोड़ तक बढ़ा जबकि राजकोषीय घाटे में ₹ 260.25 करोड़ तक की कमी हुई और प्राथमिक अधिशेष 2012-13 के दौरान ₹ 577.93 करोड़ था।

पूँजीगत व्यय में 2012-13 में पिछले वर्ष से ₹ 172.36 करोड़ (4.30 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का करीब 94 प्रतिशत दिल्ली के करों से प्रदान किया गया।

औसत व्यय के संदर्भ में विकास व्यय तथा पूँजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में 2012-13 में कम हो गया। रा.रा.क्षे., दिल्ली द्वारा संवितरित बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियों की वसूली 2008-13 की अवधि के दौरान उधारियों की लागत की पूर्ति के लिए अपर्याप्त रही। सरकारी निवेश पर औसत प्रतिफल 2012-13 में बहुत कम 0.16 प्रतिशत रहा। सरकार ने 2012-2013 के दौरान अपनी उधारियों पर औसतन 9.53 की ब्याज दर अदा की।

1.13 सिफारिशें

राज्य सरकार विचार कर सकती है :

- अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव के लिए विकास व्यय तथा पूँजीगत व्यय को बढ़ाया जाए; और
- निवेशित धन के बेहतर मूल्य को सुनिश्चित किया जाए।